बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमती शकुंतला पारेता, निवासी – 6–ए–4, विधायक कॉलोनी, तहसील–लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional) & Masonry Stone, Mining Project", M.L. No.- Plot No. 10, area- 1.5559 Hectare, falling in cluster of area 9.6615 Hectare with proposed Production capacity 5,31,307.5 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) **के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 11.09.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।**

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा के पत्र क्रमांक आर.पी.सी.बी./आर.ओ.कोटा/माईन्स–245/950–952 दिनांक 16/07/2025 व जिला कलक्टर, कोटा के आदेष क्रमांक–प.2(08493)राजस्व–I/पर्या0जन0सुन0/25/3585–93 दिनांक 01/08/2025 तथा जिला कलक्टर, कोटा के आदेष क्रमांक–प. 2(08493)राजस्व–II/पर्या0जन0सुन0/25/4017–24 दिनांक 08/09/2025 की अनुपालना में श्रीमती शकुंतला पारेता, निवासी – 6–ए–4, विधायक कॉलोनी, तहसील–लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional) & Masonry Stone, Mining Project", M.L. No.- Plot No. 10, area- 1.5559 Hectare, falling in cluster of area 9.6615 Hectare with proposed Production capacity 5,31,307.5 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 11/09/2025 को ''ग्राम पंचायत भवन, चेचट'' तहसील – चेचट, जिला–कोटा में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा श्रीमती चारू, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमंडी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जन सुनवाई के लिए आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों 'हिंदुस्तान टाइम्स व दैनिक देश की धरती में दिनांक 09/08/2025, **(परिशिष्ट–'अ')** को प्रकाषित करवाई गई थी तथा जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाषन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आमंत्रित किये गए थे।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी–गण व क्षेत्र के ग्राम वासी तथा अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर **(परिशिष्ट–'ब')**, जन सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग **(परिशिष्ट–'स')** एवं फोटोग्राफ्स **(परिशिष्ट–'द')** सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही को आरंभ करते हुए श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने सभी आगन्तुको का स्वागत किया।

तपष्चात् क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, कोटा द्वारा अध्यक्ष महोदया से जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु मार्गदर्शन व अनुमति प्रदान करने हेतु

योग्यता

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

निवेदन किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सुनवाई प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

श्रीमती योग्यता सिंह ने खनन परियोजना के तकनीकी सलाहकार मैसर्स एजिस एनवायरोमेंट रिसर्च प्रा. लि. के प्रतिनिधि को प्रस्तावित परियोजना के बारे में एलईडी टीवी के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया।

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए।

परियोजनाओं का परिचय, परियोजनाओं का प्रस्ताव, परियोजनाओं की भौगोलिक स्थिति, कलस्टर नक्शा, नकल व खसरा नक्शा, खदान पर जाने का रास्ता, सामान्य विवरण, जलवायु विज्ञान, सामाजिक स्थिति विवेचन, स्थानीय भू– गर्भशास्त्रP, जल निकासी, भू–वैज्ञानिक एवं खनन योग्य भण्डारण, खनन की आयु, खनन का उपयोग, खनिज का उपयोग, खनन विधि, मशीनरी का विवरण, रोजगार की संभावना, योजना की अवधि के अन्त में भूमि का उपयोग, अध्ययन क्षेत्र के पर्यावरण विश्लेषण के परिणाम, पारिस्थतिकी एवं जैव विविधता अध्ययन, सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या, वातावरण, अनुमानित पर्यावरण अपेक्षित प्रभाव एवं उनके अल्पीकरण के उपाय, पर्यावरण मापदण्डो की निगरानी कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट, प्रस्तावित वृक्षारोपण का विवरण, व्यवसायी/कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कलस्टर क्षेत्र के 10 किलोमीटर बफर जोन की जानकारी, वायु प्रदूषण व नियत्रंण के उपाय व जल की गुणवत्ता का प्रबंध, ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय के बारे में विस्तृत रूप से एलईडी टीवी के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय को बताया गया।

इसके पश्चात श्रीमती योग्यता सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने उपस्थित ग्रामवासियों व जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया, साथ ही बताया की कोई भी उपस्थित नागरिक लिखित व मौखिक रूप से अपने सुझाव यहां दे सकते है। यहां पर उपस्थित कम्पनी प्रतिनिधि व तकनीकी सलाहकार उत्तर देंगे।

उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधि गण एवं अन्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किये जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1. **श्री ओम प्रकाश तँवर, उप सरपंच, ग्राम चेचट** :– श्री ओम प्रकाश तँवर द्वारा पूछा गया कि गाँव की चारागाह भूमि खसरा नं. 418, जो कि इस माइनिंग लीज में सम्मिलित है उसके बदले में सरकार द्वारा क्या मिलेगा। श्री ओम प्रकाश तंवर द्वारा यह भी कहा गया कि परियोजना प्रस्तावक को खनन परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो और क्षेत्र का विकास हो। परियोजना से कोई आपत्ति नहीं हैं।

योग्यता

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

श्री रघुवीर मेहता, पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह खनन् प्लॉट सरकारी ऑक्शन में मिला है, अतः गवर्नमेंट पॉलिसी की अनुपालना में उतनी ही जमीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रय उपरांत चारागाह भूमि में संपरिवर्तित कर ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दी जाएगी। उसके उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाएगी।

2. **श्री ओम प्रकाश तँवर, उप सरपंच, ग्राम चेचट** :– श्री ओम प्रकाश तँवर द्वारा पूछा गया कि ग्राम पंचायत को जो जमीन दी जाएगी वह किस क्षेत्र में होगी।

श्री रघुवीर मेहता, पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत को जो जमीन दी जाएगी वह ग्राम चेचट में ही होगी।

3. **श्रीमती चारू, उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमंडी** :– खनन् गतिविधि उसी निर्धारित क्षेत्र में हो, यह कैसे सुनिश्चित होगा? उन्होंने यह भी पूछा कि जो ओवरबर्डन का मलवा निकलेगा, उसका क्या करेंगे?

श्री रघुवीर मेहता, पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि खनन् गतिविधि खनन् विभाग द्वारा निर्धारित पिलर्स के अंदर के क्षेत्र में ही की जाएगी जिसका सिंपलीफाइड माइनिंग प्लान खनन् विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । इस लीज द्वारा ओवरबर्डन के मलबे को रिफिलिंग में उपयोग लिया जावेगा।

उक्त लोक जन–सुनवाई के दौरान कोई भी लिखित प्रतिवेदन/सुझाव पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं।

इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमंडी तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई आयोजन की समाप्ति की घोषणा की गयी।

योग्यता

(योग्यता सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

(चारू)
उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमंडी
जिला–कोटा, राजस्थान

उपस्थिति पत्रक

श्रीमती शकुंतला पारेता, निवासी – 6–ए–4, विधायक कॉलोनी, तहसील–लाडपुरा, जिला–कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional) & Masonry Stone, Mining Project", M.L. No.- Plot No. 10, area- 1.5559 Hectare, falling in cluster of area 9.6615 Hectare with proposed Production capacity 5,31,307.5 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District-Kota, (Raj.) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् उपखंड अधिकारी, रामगंजमंडी की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2025 को समय प्रातः 11:00 बजे "ग्राम पंचायत भवन, चेचट", तहसील– चेचट, जिला–कोटा में आयोजित जन सुनवाई की उपस्थिति पंजिका–

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय / गॉव का नाम	हस्ताक्षर
1.	Charu	SDM, Ramganjmandi	Che
2.	Yogyata Singh	Regional Office, RSPCB	योग्यता
3.	Anurag Singh	AEE, RSPCB, Kota	[illegible]
4.	Om Rukesh Boreta	Kota	[illegible]
5.	Swapnil Sanadhya	Udaipur	[illegible]
6.	Kuldeep Paliwal	Udaipur	Kuldeep
7.	Lalit Dangi	Udaipur	Lalit
8.	Raghveer	Kota	[illegible]
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	Jitendra	Kota	[illegible]
11.	[illegible]	चेचट	[illegible]
12.	Anil Kumar	चेचट	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	चेचट	Balu
15.	[illegible]	चेचट	[illegible]

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गॉव का नाम	हस्ताक्षर
16.	गिरीश कुमार	चैचट	[signature]
17.	ओमप्रकाश	चैचट	[signature]
18.	रमेश चन्द	चैचट	रमेश
19.	उत्कल पारेता	चैचट	[signature]
20.	चन्द्र प्रकाश	चैचट	Chandra
21.	हरि ओम	चैचट	[signature]
22.	रोहित	चैचट	Rohit
23.	उत्तांक	चैचट	[signature]
24.	राजेन्द्र	चैचट	Rajendra
25.	कमलेश	चैचट	कमलेश
26.	रतन लाल	चैचट	[signature]
27.	रोशोतोष कुमार	चैचट	[signature]
28.	नमन	चैचट	Naman
29.	ब्रजकिशोर प्रसाद	चैचट	[signature]
30.	विनोद कुमार	चैचट	Vinod
31.	रामेश्वर	चैचट	रामेश्वर
32.	दिनेश	चैचट	Dinesh
33.	घनश्याम	चैचट	घनश्याम
34.	सांवलालाल	चैचट	सांवलालाल
35.	मोहम्मद अनीस खान	चैचट	[signature]

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	कार्यालय/गॉव का नाम	हस्ताक्षर
36.	कन्हैया लाल	चेचट	Kaluv Lal
37.	[illegible]	चेचट	[illegible]
38.	राजेन्द्र	चेचट	राजेन्द्र
39.	[illegible]	चेचट	[illegible]
40.	राहुल	चेचट	राहुल
41.	धापूबाई	चेचट	धापू
42.	[illegible]	चेचट	[illegible]
43.	रोहू	चेचट	
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	DZHESH	चेचट	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	NAVEEN KUMAR	Chechat	N[illegible]
48.	Himanshu	Chechat	[illegible]
49.	Shakuntala Pareta	कोटा	शकुन्तला
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			

र में उसे दर्द से आराम था।
केले खाए थे। रात 8 बजे
बेटे के साथ मकान में
गया। 7 साल के बेटे के
में थी। अचानक से उसे

मद, दो
फ्तार

व्यक्तियों से कुल 150
न) बरामद हुआ। उन्होंने
द कुख्यात इलाके में था
शीले पदार्थ को बरामद
न स्थानीय लोग संदिग्ध
इकट्ठा हो गए। हालांकि
बहादुरी से मौके पर
क्तियों को पकड़ लिया।
ी करने के बाद,बरामद
को वाहन (बाइक) के
है और दो व्यक्तियों को
और एनडीपीएस
ंगिक प्रावधानों के तहत

जांच के लिए पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा-आरकेपुरम थाना ब्रजराज ने बताया रणवीर आरकेपुरम बी इलाके में चौकीदारी करता है। कल रणवीर की पत्नी की अचानक तबीयत खराब हुई थी। मृतका के पीहर पक्षवाले भी मॉर्च्युरी में मौजूद है। उन्होंने कोई शक शंका जाहिर नहीं की है। मौत के कारणों की जांच के लिए पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है।

ट्रेन से उतरते समय शिक्षिका का पैर फिसला, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसी, हुई मौत

देश न्यूज नेटवर्क

अलवर 8 अगस्त। जयपुर जिले के जोबनेर इलाके में ट्रेन से उतरते समय गिरने से किशनगढ़बास की एक शिक्षिका की मौत हो गई। घटना आसलपुर कस्बे के रेलवे स्टेशन पर हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिक्षिका का पैर फिसलने से वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे निकाल लिया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक शिक्षिका का नाम पूनम (34) निवासी किशनगढ़बास बताया गया है। वह वर्तमान में मीनावाला, जयपुर में रह रही थी। पूनम आसलपुर के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में शिक्षिका थी। वह गुरुवार को रोजाना की तरह अपने घर जयपुर से जोधपुर इंटरसिटी ट्रेन से स्कूल जा रही थी। ट्रेन रुकने पर पूनम उतरने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया। शिक्षिका पूनम के एक बेटा निहान (5) व पुत्री पायल (14) है।

कोटा बैराज में दो किशोर डूबे, नहाते समय पैर फिसला, 35 फीट गहराई से शवों का रेस्क्यू

कार्यालय संवाददाता

कोटा 8 अगस्त। चंबल नदी में कोटा बैराज की निचले हिस्से में (डाउनस्ट्रीम) दो किशोर डूब गए। घटना की सूचना पर नगर निगम के गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों ने नदी में स्कूबा डाइविंग कर सर्च अभियान चलाया। करीब 25 से 30 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला जा सका। शव देख परिजन बिलख पड़े। गोताखोरों ने दोनों के शव को पुलिस को सौंप दिए। गोताखोर विष्णु श्रृंगी ने बताया कि शाम करीब साढ़े 5 बजे गढ़ पैलेस वाले हिस्से की तरफ बैराज की डाउन स्ट्रीम में दो किशोरों के डूबने की जानकारी मिली थी। टीम मौके पर पहुंची। बैराज से पानी की निकासी की जा रही थी। बहाव होने के चलते गोताखोरों को रेस्क्यू में दिक्कतें आई। टीम ने जान जोखिम में डाल स्कूबा डाइविंग की। करीब 35 फीट गहराई से दोनों किशोर के शव को बाहर निकाला। दोनों किशोर अली (15) पुत्र बाबू भाई व अली (16) पुत्र रऊफ, नदी चौक पाटनपोल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि दोनों यहां क्या करने आए थे। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है, कि दोनों दोस्तों के साथ नदी में नहा रहे थे। दोनों के शव पुलिस को सौंप दिए। कैथूनीपोल थाना सीआई पुष्पेंद्र बंसीवाल ने बताया कि 4 किशोर नहाने गए थे। नहाते समय एक का पैर फिसल गया। वो पानी में डूब गया।

मो.: 9414288889,9782799499

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

निविदा सूचना

132 केवी जीएसएस धानोडी में 33/0.4 केवी, 250 केवीए (निर्माण: फतेहपुरिया ट्रांसफार्मर और स्विच गियर (पी) ढक्कन, जयपुर) स्टेशन ट्रांसफार्मर की मरम्मत करने हेतु इच्छुक बोलीदाताओ से निविदाये आमंत्रित कि जाती है। सभी निविदाओ की अन्य जानकारी राज्य के प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (http://sppp.rajasthan.gov.in) तथा विभागीय वेबसाइट http://energy.rajasthan.gov.in/rvpnl पर उपलब्ध है।

(यूनिक बिड न; VPN2526WSOB01351)

अधीक्षण अभियंता (टी. एंड सी.), कोटा

राज.संवाद/सी/25/7843 रा.रा.वि.प्र.नि./TR-7052/2025

कार्यालय नगर परिषद बून्दी

क्रमांक:- 6139-42 दिनांक-7.8.25

-:: निविदा सूचना -::

नगर परिषद बून्दी द्वारा जारी निविदा सं.: गैराज/2025-26/6126 दिनांक 07/08/2025 की निविदा दिनांक 07/08/2025 से दिनांक 11/08/2025 12.00 बजे तक विक्रय की जावेगी। निविदा दिनांक 11/08/2025 को 03.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा निविदा दिनांक 11/08/2025 को 4.00 बजे खोली जावेगी। विस्तृत शर्ते व विवरण निविदा sppp.rajasthan.gov.in पर DLB2526SSOB 13968 तथा कार्यालय समय मे किसी भी कार्यदिवस को नगर परिषद मे देखा जा सकता हैं।

आयुक्त
नगर परिषद, बून्दी

rspcb

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

LiFE Lifestyle for Environment

प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6. इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324005

E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com ☎-0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती शकुंतला पारेता, निवासी 6-ए-4, विधायक कॉलोनी, तहसील-लाडपुरा, जिला-कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional) & Masonry Stone. Mining Project", M.L. No.- Plot No. 10, area- 1.5559 Hectare, falling in cluster of area 9.6615 Hectare with proposed Production capacity 5,31,307.5 TPA (ROM) near Village Chechat. Tehsil-Ramganjmandi. District- Kota, (Raj.) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, श्रीमती शकुंतला पारेता द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Dimensional) & Masonry Stone. Mining Project", M.L. No.- Plot No. 10, area 1.5559 Hectare, falling in cluster of area 9.6615 Hectare with proposed Production capacity 5,31.307.5 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota. (Raj.) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोंट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, कोटा।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(9) कार्यालय तहसील, चेचट, जिला कोटा।
(10) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(11) कार्यालय ग्राम पंचायत-चेचट, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-चेचट, जिला-कोटा।

अत: सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.2025 को "ग्राम पंचायत भवन, चेचट" तहसील - चेचट, जिला-कोटा में समय प्रात: 11.00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6. इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से (योग्यता सिंह) क्षेत्रीय अधिकारी

टा से मुद्रित होकर OCF-4 देश की धरती कॉम्पलेक्स विश्वकर्मा नगर, कोटा (राज.) से प्रकाशित। संपादक प्रदीप जैन
कोटा मो.नं. 9829221551

woman and her husband," said

NASHIK MUNICIPAL CORPORATION

Rajiv Gandhi Bhavan, Sharanpur Road, Nashik - 422002

Solide Waste Management Department

E-Tender Notice No.05/2025-26

Name of Work:- Service of sweeping and cleaning of roads, Public and Community toilets, River bank, Auditoriums and NMC school Toilets in NMC area of 875 sweepers.

Interested tenderers should visit the website **https://mahatenders.gov.in** for detailed information.

जनसंपर्क/जा.क्र/२०५/२०२५
दि.०७/०८/२०२५

Sd/-
Commissioner / Administrator,
Nashik Municipal Corporation

"पर्यावरण बचे, तो प्राण बचे ।"

GUJARAT STATE ELECTRICITY CORPORATION LTD.

GSECL

Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodara, India-390007
Ph. 0265-6612332
CIN: U40100GJ1993SGC019988
e-mail: cegen.gsecl@gebmail.com Website: www.gsecl.in

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Corporate Office, Generation Department

Tender Notice No. **GSECL/ED/SE(P&C)/2586/KadanaSolar-110MW-FSPV**
(GeM Bid No. GEM/2025/B/652403, dated 02/08/2025)

Chief Engineer (P&P), Gujarat State Electricity Corporation Limited, Vadodara invites tender (online e-tender) for following supply and works:

e-Tender on GeM Portal vide tender ID No. ED/SE(P&C)/2586/KadanaSolar-110MW-FSPV (GeM Bid No. GEM/2025/B/652403, dated 02/08/2025)

for the Design, Engineering, Procurement & Construction (EPC) Contract for development of 110 MW AC Floating Solar photo voltaic (FSPV) plant at Kadana Dam Reservoir, dist. Mahisagar, Gujarat along with ten years Comprehensive Operation & Maintenance of Plant invited through Request for Proposal (RFP).

The Tender documents of above are available on website gem.gov.in (for view, download and online submission) and on web Site www.gsecl.in (for view and download only). Interested vendors may surf the above website and may download the said tender from websites, for complete details of tender particular like Tender fee, EMD, GTC, ATC, Specifications & GTP etc. and due date of tender submission.

Technical bid containing all the relevant documents of tender to be submitted through ONLINE process only on GeM Portal. Any other document will not be accepted in Offline OR Hard Copy.

Note: Be in touch with our Web Site till Bid opening.

Chief Engineer (P&P), GSECL, Corporate Office, Vadodara.

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा- 324005
E-mail: rspcb.kota@gmail.com Ph:0744-2490873

LiFE Lifestyle for Environment

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रीमती शकुंतला पारेता, निवासी 6-ए-4, विधायक कॉलोनी, तहसील लाडपुरा, जिला-कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा **"Lime Stone (Dimensional) & Masonry Stone, Mining Project", M.L.. No. Plot No. 10, arca- 1.5559 Hectare, falling in cluster of area 9.6615 Hectare with proposed Production capacity 5,31,307,5 TPA (ROM) near Village Chechat. Tehsil-Ramganjmandi. District- Kota, (Raj.)** हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

चूंकि, श्रीमती शकुंतला पारेता द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा **"Lime Stone (Dimensional) & Masonry Stone. Mining Project", M.L. No. Plot No. 10, area- 1.5559 Hectare, falling in cluster of area 9.6615 Hectare with proposed Production capacity 5,31,307.5 TPA (ROM) near Village Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District-Kota. (Raj.)** के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रण मण्डल, मुख्यालय 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार **A-218,** अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषदए कोटा।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(9) कार्यालय तहसील, चेचट, जिला कोटा।
(10) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
(11) कार्यालय ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील चेचट, जिला.कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 11.09.2025 को ग्राम पंचायत भवन, चेचट तहसील चेचट, जिला कोटा में समय प्रातः 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए) रोड नं 6 इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा **(Email: rorpeb.kota@gmail.com)** के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
(योग्यता सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

tion to address such unique situations, a lawyer familiar with the case said on Friday.

The court was hearing a petition concerning a five-year-old girl Seher Gogia, an Australian citizen by birth, whose parents are Indian nationals. Directing relief in her case, the bench ordered the Foreigners Regional Registration Officer (FRRO), Bureau of Immigration, to extend her visa without insisting on a No Objection Certificate (NOC) from the mother, who is involved in a matrimonial dispute with the father.

The single-judge bench of Justice Anoop Kumar Dhand observed that the child has been living with her father since birth, and since there is no custody order in favour of the mother, there is no need for an NOC from the mother.

Stressing the child's welfare, the court said: "Therefore, the petitioner being a 5 year old minor

NOC FROM HER

cannot be compelled to be deported to Australia."

Citing Article 21 of the Constitution and India's commitments under the United Nations Convention on the Rights of the Child, the court emphasised that deporting the minor without considering her wishes would not be in her best interest.

It also allowed the father to apply for an Overseas Citizen of India (OCI) card on the child's behalf and directed the FRRO to decide such an application "sympathetically, in accordance with law, expeditiously" — preferably within three months of filing.

The order disposed of the writ petition and related applications. and reiterated the need for the MHA to review the legal framework governing similar cases to protect children caught in cross-border family disputes.

HT Classifieds

LOAN/FINANCE

EVERGREEN GLOBAL

DSA AGENCIES & CONSULTANT WELCOME

BUSINESS LOAN

SECURED LOAN
UNSECURED LOAN
TAKE OVER LOAN
PROJECT LOAN
NPA RELEASE

STARTS FROM 2CRORE & ABOVE

LOW INTEREST

89257 61441 info@evergreenglobal.in www.evergreenglobal.in

CHANGE OF NAME

I, P AHIAM Father of Army no 14706233A Sep POUKIAN T PANMEI. Of 2 Naga Regiment c/o 56 Apo have to change My Name from P AHIAM PANMEI To P AHIAM in my Son's service record.

I, MAMTA Wife of Army no JC 357446M Nb/Sub VIKRAM SINGH OF 109 Rapid(S) Engr Regiment c/o 56 Apo have to change My Name from MAMTA To MAMTA RANI in my Husband's service record.

I PAPPU RAM S/O Mota Ram village post muwana tehsil nava district deedwana kuchaman rajastan that I have changed my name from PAPPU RAM To PAPPU and surname Ram in future called me PAPPU for all purposes. Passport number C0636101

I IC army no 14499859 H rank Ex NK (TS) Surender s/o Prayag singh Resident of village kirtinagla post samleti teh mahwa district Dausa rajasthan that i want change my spouse name which is wrongly entered my service record from ASHOK KUMARI (DOB 20/8/1967)To ASHOK KANWAR (DOB 1/1/1968)vide affidavit dated 30/7/25 before district sub majistrate mahuwa Dausa Raj

CHANGE OF NAME

I MINAKSHI Kailash Shete spouse of No-15572643H Rank HAV/DVRSPL VEH Kailas Pandurang Shete resident at Village & Post - Loni Kalbhor , Teshil - Haveli , District - Pune , State Maharashtra , Pin 412201 have changed my name from Minakshi Kailash Shete to Minakshi Kailas Shete vide affidavit dated 05/08/2025 before Bikaner Court.

I, MRS A ELA legal mother of Army No 14704603W Rank HAV Name N PFODAI EKHE , resident of Vill-Makhan Khullen, PO- Maram, TEH-Senapati, Dist - Senapati, State-Manipur. My son is presently serving with 2 NAGA Regiment, c/o 56 APO, PIN-910372. My name is wrongly recorded as A ELAA in my son's record documents whereas my correct name is A ELA. I hereby declare that A ELAA and A ELA are the same person that is me.

I NO-15572643H Rank HAV/DVRSPL VEH Kailas Pandurang Shete resident at Village & Post - Loni Kalbhor, Teshil - Haveli, District - Pune, State Maharashtra, Pin 412201 have changed my daughter's name from Vaishnavi Kailash Shete to Vaishnavi Kailas Shete vide affidavit dated 05 /08/2025 before Bikaner Court.